

म.प्र. शासन वन विभाग



परियोजना का नाम — कारम तालाब परियोजना

वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2017 — 18 से 2026 — 27
क्षेत्रफल — 2.0297 हे.

वन परिक्षेत्र — सरदारपुर
वनमण्डल धार (क्षेत्रीय)

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण
 - अ. परियोजना का नाम :- कारम तालाब परियोजना
 - ब. भारत सरकार का अनुमोदन क्रमांक दिनांक
 - स. प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण :- हे.
2. जिला :- धार
3. वनमंडल :- धार
4. परिक्षेत्र :- सरदारपुर
5. तहसील :- सरदारपुर
6. विकास खण्ड :- सरदारपुर
7. विधानसभा क्षेत्र :- सरदारपुर
8. ग्राम पंचायत :- सलवा
9. क्षेत्रिय परिक्षेत्र सहायक वृत्त :- बदनावर
10. क्षेत्रिय परिसर (बीट) :- राजोद
11. परिसर रक्षक/वन रक्षक का नाम :- श्री अनिल हारोड़, वनरक्षक
12. परिक्षेत्र सहायक का नाम :- श्री अंबाराम निगवाल

- 2/ 1. योजना का उद्देश्य - वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
2. क्षेत्रफल - 2.0297 हेक्टेअर

3/ उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

कट वैक का क्षेत्र - निरंक

वृक्षारोपण का क्षेत्र - 2.0297 हेक्टेअर

संरक्षण का क्षेत्र - निरंक

लैण्टाना - निरंक

- 4/ रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेंगे :- माही रोपणी सरदारपुर

5/ रोपणी से रोपण स्थल की दूरी :-

(ए) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा : 45 किमी.

(बी) सिरबोझ द्वारा : 5 किमी.

6/ सिंचाई का विवरण

(ए) जल स्रोत : नदी

(बी) वृक्षारोपण से दूरी : 600 मीटर

(सी) बिजली उपलब्धता : नहीं है

7/ योजना की अवधि

10 वर्ष (2017 - 18 से 2026 - 27 तक)

8/ 1. योजना पर होने वाला संभावित व्यय

: रु. 8.07 लाख

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है।)

2. प्रति हेक्टेअर व्यय

: रु. 3.98 लाख

उपवन संरक्षणाधिकारी
उपवन मंडल, सरदारपुर

बतल -
बतल परिक्षेत्राधिकारी
बतल परिक्षेत्र सरदारपुर

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य / वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।



वन मण्डल अधिकारी

धार (क्षेत्रीय) वन मण्डल धार, (म. प्र.)

निरीक्षण दिनांक

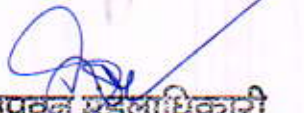
अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 176 दिनांक 10-3/7 द्वारा जारी की गयी।

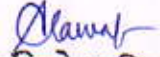


मुख्य वन संरक्षक

② इन्दौर वन वृत्त, इन्दौर (म. प्र.)



उपवन मण्डल अधिकारी
उपवन मंडल, सरदारपुर



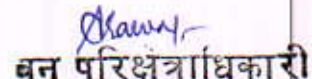
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

वैकल्पिक वृक्षारोपण कारम तालाब परियोजना

प्रस्तावना :- कारम तालाब निर्माण के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक एवं के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण 2.0297 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।

1. 2.0297 हे. क्षेत्र का सर्वे एवं सिमांकन कार्य किया जावेगा।
2. क्षेत्र को सिमेंटेड पोल एवं चेन लिंक फेसिंग द्वारा घेरा जावेगा, कुल लम्बाई 200 र.मी.।
3. क्षेत्र में 3250 गड्डे खोदे जावेंगे एवं उपजाऊ मिट्टी एवं खाद गड्डो में पुर्ती कर पौधा रोपण कार्य किया जावेगा।
4. वृक्षारोपण क्षेत्र में सागोन, खेर, करंज, सिवन, महुआ, नीम आदि प्रजाति के पौधे रोपित किए जाएंगे।
5. सुरक्षा कार्य हेतु 1 सुरक्षा श्रमीक का पुरे वर्ष भर रखने का प्रावधान किया गया है।
6. प्रोजेक्ट वर्ष 2017 - 18 से 2026 - 27 तक की तैयार की गई है।


उपवन महिलाधिकारी
उपवन मंडल, सरदारपुर


वन परिषद् अधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

वैकल्पिक वृक्षारोपण (2.0297 हे., कारम तालाब परियोजना भाग एक)

क्षेत्र तैयारी (प्रथम वर्ष) 2017 - 18

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हेक्टर

मानव दिवस रु 289

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	भाग 2/1 सी.एफ जाब दर	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	2.0297 हे.	0.45 प्रति हे.	1	264
2	भाग 2/2 सी.एफ जाब दर	क्षेत्र सफाई की समस्त अनुपयोगी झाड़िया (लैंटाना छोड़कर) एवं खकरी कटाई (20 सेमी से नीचे) एकत्रित करना जलाना क्षेत्र सफाई 21-30 सेमी 15000 क्षेत्र सफाई 31-45 सेमी 15000 क्षेत्र सफाई 46-60 सेमी 10000	2.0297 हे. 0 पौध 0 पौध 0 पौध	4 प्रति हे. 1.25 प्रति सैकड़ा 2.4 प्रति सैकड़ा 3.8 प्रति सैकड़ा	8.1188 0 0 0	2346 0 0 0
3	भाग 2/4 सी.एफ जाब दर	स्टेकिंग गड्ढे खोदने के पूर्व रस्सी से लाइन डालना एवं घुने से गड्ढे हेतु निशान लगाना अंतराल 2X3 मीटर	3250 गड्ढे	2.5 प्रति हजार	8.125	2348
4	भाग 2/5 सी.एफ जाब दर	गड्ढे खुदाई 45X45X45 से.मी.	3250 गड्ढे	5 प्रति मा.दि. प्रति सैकड़ा	162.5	46963
5	भाग 2/17 सी.एफ जाब दर	गड्ढों में कीटनाशक गोबर खाद मिश्रित व मिट्टी बदलना (45X45X45 से.मी. के गड्ढों में)	3250 गड्ढे	1.5 प्रति मा.दि. प्रति सैकड़ा	53.569392	14088.75
6	बाजार दर	चौकीदार हट निर्माण मजदूरी	0 नग	एल. एस.	0	0
योग मजदूरी					233	66009.75
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
8	बाजार दर 1200रुप्रति घ.मी.	गोबर खाद कय व परिवहन (गड्ढों की संख्या X(एक गड्ढे का आयतन 3250 का 10%) (3250X(.45X.45X.45X10%))	30 घ.मी.	1200 प्रति घ.मी.		36000
9	बाजार दर	3250 गड्ढे में डालने के लिये उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन गड्ढों का आयतन =296 घ.मी. का 10 प्रतिशत	30 घ.मी.	500 प्रति घ.मी.		15000
10	बाजार दर	नीम खल्ली 30 ग्राम प्रति गड्ढा का कय 55 रु प्रति कि.ग्र.	100 कि.ग्र.	- प्रति घ.मी.		5500
11	बाजार दर	पौधा कय अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ	3575 पौधे	11 प्रति पौधा		39325
12	बाजार दर	चौकीदार हट निर्माण सामग्री	0 नग	एल.एस.		0
13	बाजार दर	गेट निर्माण	0 नग	एल.एस.		0
14	बाजार दर	साईन बोर्ड	1 नग	एल.एस.		5000
15	बाजार दर	पाईप क्रय				8000
16	बाजार दर	अन्य व्यय (चुना, रस्सी, स्टेशनरी आदि)				3166
योग सामग्री					0	111991
योग रोपण मूलक गतिविधियां (मजदूरी + सामग्री)					233	178000.75

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

फेंसिंग के साथ प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य का प्रस्तावित व्यय (2017 - 18)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लघु उद्योग निगम	चेनलिंग फेंसिंग (1) पी.आर.सी.सी. पोल 2 मी. ऊँचाई एवं 2.5 मी. दूरी पर $(200/2.5=80 \times 10\%=80+8=88)$ 13 प्रतिशत वेट राशि	88 नग	296.3 प्रति नग	-	26070 3389
2	लघु उद्योग निगम	(1) पांच पक्ति में लगाने हेतु बारबेड वायर ($200 \times 5=1000/7=142 \text{ KG}$) 5 प्रतिशत वेट राशि	142 कि.ग्रा.	90 प्रति कि.ग्रा.	-	12780 639
3	बाजार दर	(1) बारबेड को जोड़ने हेतु यूनेल्स 13 प्रतिशत वेट राशि	10 कि.ग्रा.	90 प्रति कि.ग्रा.	-	900 117
4	बाजार दर	(1) जी.आई तार बारबेड को बांधने हेतु 13 प्रतिशत वेट राशि	3 कि.ग्रा.	100 प्रति कि.ग्रा.	-	300 39
5	सी.एफ.जाबदर	जी.आई तार एवं यूनेल्स की मदद से बारबेड वायर को बांधना एवं विविध कार्य मजदूरी	200 र.मी.	0.16 प्रति र.मी.	35.1635	9248
6	भाग 2/ सी.एफ. जाबदर	फेंसिंग पोल हेतु गड्डे खुदाई कार्य ($0.30 \times 0.30 \times 0.45 \text{ CM}$)	88 नग	2.5 मा.दि.प्रति सी	2	636
7	PWD SOR	1:3:6 सीमेंट कंक्रीट मसाले में पोल्स लगाने हेतु कंक्रीट मसाला ($80 \times 0.30 \times 0.30 \times 0.45 \text{ CM}$)=3.24 ($80 \times 0.30 \times 0.10 \times 0.10 \text{ CM}$)=0.24 3.24 - 0.24 = 3 Sqm	3 घ.मी.	3643 प्रति घ.मी.	-	10929
8		पोल लगवाई कार्य	88 नग	अनुमानित 80 रु. प्रति नग		7040
योग :-					21	72087.1

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

द्वितीय वर्ष (रोपण कार्य) (2018 - 19)

परिशिष्ट - 1
1600 पौधे प्रति हेक्टर
मानव दिवस रु 318

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (निजी वाहन से 45 किमी दूरी तक)	3575 पौधा	170 प्रति सैकड़ा		6077.5
2	भाग 3/3 सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुंचना समस्त साईज की दूरी 2 किमी तक)	3250 पौधा	0.4 मा.दि.प्रति सैकड़ा	13	4134
3	भाग 3/5 सी.एफ जाब दर	पौधा रोपण 45X45X45 से.मी. गड्ढों में रोपण	3250 पौधे	1.8 मा.दि.प्रति सैकड़ा	58.5	18603
निर्दाई कार्य						
4	भाग 3/9 सी.एफ जाब दर	निर्दाई गुड़ाई थाला दुरुस्ती कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3250 पौधे	1.25 मा.दि.प्रति सैकड़ा	40.6	12919
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3250 पौधे	1 मा.दि.प्रति सैकड़ा	32.5	10335
5	भाग 3/10 सी.एफ जाब दर	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3250 पौधे	0.6 मा.दि.प्रति सैकड़ा	20	6201
6	सी.एफ जाब दर	सिंचाई कार्य 8 माह हेतु 1 श्रमिक- निर्दाई गुड़ाई, सफाई कार्य एवं क्षेत्र पथरीला, हार्ड मुरम अल्प वर्षा के कारण समुह (ब) को अक्षारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होगी।	208	208 8x1x26	208	66144
7		अग्नि सुरक्षा 3 मीटर चौड़ी कटाई सफाई	2000 र.मी.	2.25 मा.दि.प्रतिKAM	5	1431
योग मजदूरी					377	125844
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
8	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी. / यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	163 कि.ग्रा.	24 रु.प्रति कि.		3912
9	बाजार दर	डिजल व्यय				20000
10	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				244
योग सामग्री					0	24156
महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-					377	150000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रु 350

तृतीय वर्ष (रखरखाव का प्रथम वर्ष 2019 - 20)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	एल एल	फेंसिंग मरम्मत	2,003 हे.	2 मा.दि.प्रति हे.	4.00594	1402.08
2	बाजार दर	पौधा कय अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाड़ुआ	325 पौधे	15 प्रति पौधा		4875
3		पौधा परिवहन वाहन द्वारा	325 पौधे	170 प्रति सैकड़ा		552.5
4	भाग 8/3 सी.एफ जाब दर	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़्ढो तक पहुंचना समस्त साईज की दूरी 2 किमी तक) 10% केजुअलिटी	325 पौधे	0.4 मा.दि.प्रति सैकड़ा	1	455
5	भाग 3/9 सी.एफ जाब दर	निर्दाई गुड़ाई थाला दुरुस्ती कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना				
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3250 पौधे	1.25 मा.दि.प्रति सैकड़ा	40.625	14218.8
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	3250 पौधे	1 मा.दि.प्रति सैकड़ा	32.5	11375
6	भाग 3/10 सी.एफ जाब दर	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3250 पौधे	0.6 मा.दि.प्रति सैकड़ा	20	6825
7	सी.एफ जाब दर	सिंचाई कार्य 8 माह हेतु 1 श्रमिक- निर्दाई गुड़ाई, सफाई कार्य एवं क्षेत्र पथरीला, हार्ड मुरम अल्प वर्षा के कारण समुह (ब) को आधारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होगी।	208	208 8x1x26	208	72800
8		अग्नि सुरक्षा 3 मीटर चौड़ी कटाई सफाई	2000 र.मी.	2.25 मा.दि.प्रति km	5	1575
योग मजदूरी					310	114078
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
9	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा =	163 कि.ग्रा.	24 प्रति कि.ग्रा.		3912
10	बाजार दर	डिजल व्यय				20000
9	एल एस	अन्य आकरिमक व्यय				2010
		योग सामग्री			0	25922
		महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-			310	140000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धारउपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुरDhawal
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट - 1
1600 पौधे प्रति हैक्टर
मानव दिवस रु 385

चतुर्थ वर्ष (रखरखाव का द्वितीय वर्ष 2020 - 21)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	सी.एफ जाब दर	सिंचाई कार्य 4 माह हेतु 1 श्रमिक- निदाई गुड़ाई, सफाई कार्य एवं क्षेत्र पथरीला, हाई मुरम अल्प वर्षा के कारण समूह (ब) को आधारित मानते हुए सफलता सुनिश्चित करने हेतु 8 माह में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होगी।	104	104 4x1x26	104	40040
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
2	एल एस	डिजल व्यय				10000
3	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				960
		योग			0	51000

परिशिष्ट - 1
1600 पौधे प्रति हैक्टर
मानव दिवस रु 424

पंचम वर्ष (रखरखाव का तृतीय वर्ष 2021 - 22)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						
3	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				2000
		योग सामग्री			0	2000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट - 1

1600 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रु 488

षष्ठम वर्ष (रखरखाव का चतुर्थ वर्ष 2022 - 23)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1000
		योग सामग्री				1000

परिशिष्ट - 1

1400 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रु 513

सप्तम वर्ष (रखरखाव का पंचम वर्ष 2023 - 24)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1000
		योग सामग्री			0	1000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडल अधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट - 1

1800 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रु 564

अष्टम वर्ष (रखरखाव का छठवा वर्ष 2024 - 25)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1000
		योग सामग्री			0	1000

परिशिष्ट - 1

1800 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रु 620

नवम वर्ष (रखरखाव का सातवा वर्ष 2025 -26)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
2	एल एस	अन्य आकस्मिक व्यय				1000
		योग सामग्री			0	1000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

परिशिष्ट - 1

1800 पौधे प्रति हैक्टर

मानव दिवस रु 682

दशम वर्ष (रखरखाव का आठवा वर्ष 2026 - 27)

क.	जाब दर आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./मा.दि. प्रति ईकाई	कुल मानव दिवस	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)					
1	एल एस	अन्य आकरिमक व्यय				1000
		योग सामग्री			0	1000

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर

गोशदारा

वर्ष	राशि रु.
प्रथम वर्ष - क्षेत्र तैयारी	250088
द्वितीय वर्ष - रोपण	150000
तृतीय वर्ष - रखरखाव का प्रथम वर्ष	140000
चतुर्थ वर्ष - रखरखाव का द्वितीय वर्ष	51000
पंचम वर्ष - रखरखाव का तृतीय वर्ष	2000
षष्ठम वर्ष - रखरखाव का चतुर्थ वर्ष	1000
सप्तम वर्ष - रखरखाव का पंचम वर्ष	1000
अष्टम वर्ष - रखरखाव का छठवा वर्ष	1000
नवम वर्ष - रखरखाव का सातवा वर्ष	1000
दशम वर्ष - रखरखाव का आठवा वर्ष	1000
योग	598088
1 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (20 प्रतिशत)	119618
2 आस्था मूलक (12 प्रतिशत)	71771
3 मानव संसाधन (3 प्रतिशत)	17943
महायोग	807419

उपवनमंडलाधिकारी
क्षेत्रीय उपवनमंडल सरदारपुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
सरदारपुर

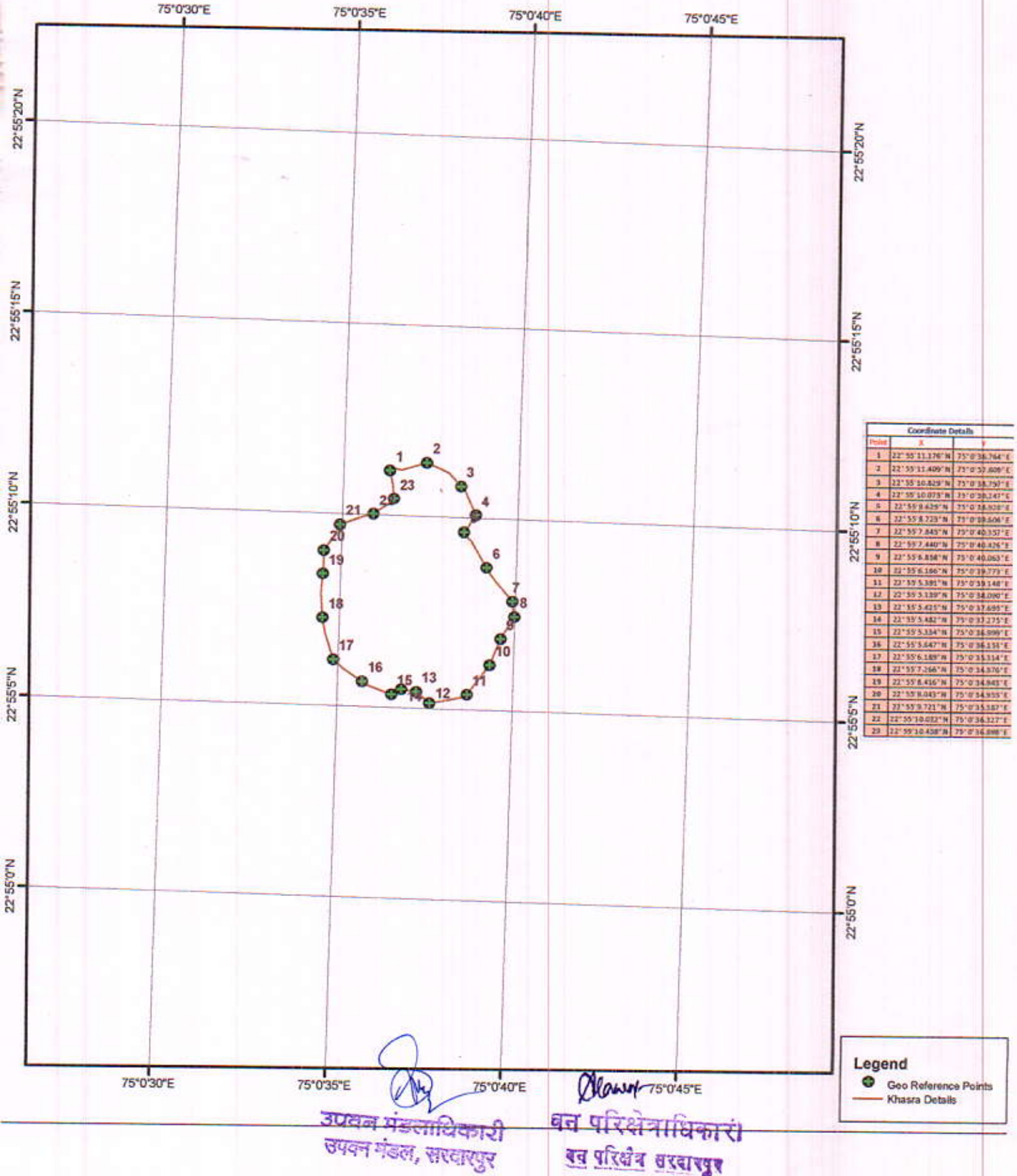
वनमंडलाधिकारी
क्षेत्रीय वनमंडल धार

**Compensatory Afforestation Map-II
(Georeferenced Map)
Project - Karam Medium Project
Proposal No. : FP/MP/IRRIG/20856/2016**

District - Dhar
Tehsil - Sardarpur
Village - Salwa
Area : 2.0797 Ha.



1:4,000



- 16 जहाँ तक संगव हो डूँठ ड्रेसिंग एवं पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावे। उपरोक्त कार्यों को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरान्त ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावे। भू एवं जल संरक्षण के क नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावे घयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही नालों का घयन किया जावे।
- 17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बंदखल करने की कार्यवाही उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।
- 18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावे तथा मुनारों संख्या व निर्देश के माध्यम से अंकित किये जावे।
- 19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मिलव्ययिता बरती जावे। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नहीं कराया जावे। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावे। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजा मिट्टी प्राप्त की जावे।
- 20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्ता करे।
- 21 प्राक्कलन रथाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करावी जाकर सुरक्षित रखा जावे।

(पुरषोतम चौमान)

मुख्य वन संरक्षक एवं

पदेन वन संरक्षक

इन्दौर वृत्त, इन्दौर

पृ. क्र./मा.चि./2017/
प्रतिलिपि -

1479

इन्दौर, दिनांक

10-3-17

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2 वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल धार की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/1403 दिनांक 06.03.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सलमन प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मिलव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावे। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्र की मूलांकन कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।
- 3 आदेश प्रति।
- सलमन - उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

**मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित
आदेश**

क्रमांक/मा.चि./2017/ 176

इन्दौर दिनांक 10-3-17

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3-09-2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे० मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अवधि
धार	सरदारपुर	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त गैरवन भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	ग्राम-सलवा	2.029	8.07	2017-18 से 2026-27
		योग	—	2.029	8.07	—

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य रहेगी :-

- समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।
- फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।
- स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।
- वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लानेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
- तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
- कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवे बदलाव कर सकेंगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- प्लानेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लानेशन जनरल में चस्पा की जावें।
- योजना में जिन कार्यों के माप, डिजाइन तथा चित्र आदि प्रस्तावित हैं, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।
- योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।
- श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।
- योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावे।
- प्रस्तावित क्षेत्र के Google earth का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।
- प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यों को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।
- कार्य के दौरान समस्त कार्यों के फोटोग्राफ्स लेकर प्लानेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्राफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये हैं, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

10 MAR 2017

12K300-IV